भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4103

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

मेरठ में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किया जाना

4103 श्री विजय पाल सिंह तोमर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर मेरठ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालय की न्यायपीठें, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार और उस राज्य सरकार, जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचना प्रसुविधाएं प्रदान करनी हैं और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन प्रतिदिन का प्रशासन किया जाना अपेक्षित है, के किसी पूर्ण प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् स्थापित की जाती है । पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

वर्तमान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेषतया मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना से संबंधित कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित नहीं है ।

****